बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः बी1–3–115/2019– 4825 पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 ई0।

प्रेषक,

सुधाकर प्रसाद,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना –सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।
आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा –सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।
आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर –सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया –सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा –सह–निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

विषय :– **अर्हता तिथि 01.11.2019 के आधार पर बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक, कोशी स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक सूची की तैयारी – प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्वाचक सूची का मुद्रण एवं राजनैतिक दलों को निर्वाचक सूची की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अर्हता तिथि 01.11.2019 के आधार पर बिहर विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक, कोशी स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 23.11.2019 को निर्धारित है। प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्वाचक सूची की 17 (सत्रह) प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) मुद्रित करायी जाये। इसके अतिरिक्त सॉफ्ट प्रतियाँ (फोटो रहित 14 तथा फोओे सहित 3 प्रति पी०डी०एफ० सी०डी०) तैयार करायी जाये। मुद्रित करायी जाने वाले हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	प्रतियों का उपयोग	हार्ड कॉपी	सॉफ्ट कॉपी (पी०डी०एफ०–सी०डी०)
(1)	**मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के लिये प्रत्येक को एक प्रति की दर से (BLA सहित) –**	11 (ग्यारह) प्रतियाँ	11 (ग्यारह) प्रतियाँ फोटोरहित
(2)	**प्रकाशन हेतु –**		
(i)	पदाभिहित पदाधिकारी के लिए	01 (एक) प्रति	–
(ii)	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के लिए	01 (एक) प्रति	–
(iii)	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के लिए	01 (एक) प्रति	–
(iv)	जिला निर्वाचन पदाधिकारी के लिए	01 (एक) प्रति	–
(3)	**अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने हेतु –**		
(i)	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर	01 (एक) प्रति	01 (एक) प्रति फोटोरहित एवं 01 (एक) प्रति फोटोसहित
(ii)	जिला अभिलेखागार के लिए	01 (एक) प्रति	
(iii)	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के लिए	–	01 (एक) प्रति फोटोरहित एवं 01 (एक) प्रति फोटोसहित
(4)	**जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए**	–	01 (एक) प्रति फोटोरहित एवं 01 (एक) प्रति फोटोसहित
	कुल	17 (सत्रह) प्रतियाँ	17 (सत्रह) प्रतियाँ

इस प्रकार निर्वाचक सूची की 17 (सत्रह) प्रतियाँ मुद्रित कराई जाये एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के लिए 11 (ग्यारह) फोटो रहित सॉफ्ट प्रतियाँ (Without Photo PDF-CD) तैयार की जाये। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालयों में एक–एक प्रति फोटोरहित (Without Photo) एवं एक–एक प्रति फोटोसहित (With Photo) पी०डी०एफ० सी०डी० एवं कार्यालय स्तर पर अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए निर्वाचक सूची की एक फोटोसहित सॉफ्ट प्रति (With Photo PDF-CD) उपलब्ध कराई जाये।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारीएवं जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाशन हेतु उपलब्ध निर्वाचक सूची की प्रति प्रकाशन के उपरांत भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित रूप से संधारित कर रखी जाये।

पदाभिहित पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई प्रति को वे उपयोग हेतु सुरक्षित रखेंगे और अपने स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति अथवा लम्बे अवकाश पर जाने आदि के कारण अन्य किन्हीं पदाभिहित पदाधिकारी की नियुक्ति पर उन्हें यह प्रति प्रभार में हस्तगत करायेंगे।

संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, यदि निर्वाचक सूची 17 (सत्रह) प्रतियों से अधिक मुद्रित कराने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो औचित्य के साथ प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेज कर तथा अनुमोदन प्राप्त कर अतिरिक्त प्रतियों का मुद्रण करायेंगे। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक सूची की मुद्रित प्रति का क्रय करना चाहें, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने पास उपलब्ध सी०डी० से निर्वाचक सूची मुद्रित करा कर उचित शुल्क/व्ययभार प्राप्त कर उपलब्ध करा देंगे। यदि सॉफ्ट प्रति उपलब्ध करानी हो तो वह फोटोरहित होगी। फोटोसहित सॉफ्ट प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय, पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध नहीं कराई जानी है।

इसकी सूचना सभी संबंधित को अपने स्तर से निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

विश्वासभाजन

15.11.19

(सुधाकर प्रसाद)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक : बी1–3–115/2019– 7825 पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपिः– सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र–सह–जिला पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान एवं सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.11.19

(सुधाकर प्रसाद)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक : बी1–3–115/2019– 7825 पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि : उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया एवं सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.11.19

(सुधाकर प्रसाद)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक : बी1–3–115/2019– 7825 पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि : उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान एवं सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.11.19

(सुधाकर प्रसाद)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार